न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्याः–44/2020

1. अहमद अली
2. अख्तर अली

} पि0 जपार मोहम्मद जाति कलाल साकिन गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. जपार मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद
2. मुस्ताक मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद
3. फाजयॉ पुत्री मुस्ताक मोहम्मद पत्नी अनवर हुसैन
4. नाजिया बी पुत्री मुस्ताक मोहम्मद पत्नी नूरनबी
5. नूरनबी पुत्र जपार मोहम्मद
6. सनाज बी पुत्री जपार मोहम्मद पत्नी गुलाम हुसैन
7. शमशाद बी पुत्री जपार मोहम्मद

} जाति कलाल साकिन गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री रियासत अली अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 12.01.2021

वादीगण अहमद अली आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चकनं0 2 एमकेएस बी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 30/27 में कुल 2.024 है0, चकनं0 7 एसबीएन के खाता सं0 119/104 में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम से कुल 3.036 है0 मे ब0हि0ब0, चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 69/67 में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम से 0.4680 है0 ब0हि0ब0, चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 में कुल 1.771 है0 में प्रतिवादीगणसं0 1 व 2 के नाम से ब0हि0ब0, चकनं0 8 केएचआर के खाता सं0 55/54 में प्रतिवादीसं0 1 के नाम से 0.506 है0, प्रतिवादीसं0 2 के नाम से चकनं0 8 केएचआर के खाता सं0 105/99 में 0.506 है0 तथा चकनं0 1 एमकेएस ए के खाता सं0 42/43 में कुल 1.518 है0 आराजी नहरी मय गै0मु0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारां अर्सा दराज पूर्व हो गया था व घरू बटवारा में प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण सं0 6 व 7 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का त्याग किया हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार वटवारा किया है व वटवारा में प्राप्त आराजी पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है लेकिन वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज वटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज वटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर वादीगण की भूमि का खाता अलग से कायम करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नामसे राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर वादीगण की आराजी का खाता अलग से कायम करवा देवे तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का हम पक्षकारान के मध्य आपस में घरू बटवारां अर्सा दराज पूर्व हो गया था व घरू बटवारा में प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। हम प्रतिवादीगण सं0 6 व 7 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का त्याग किया हुआ है। घरू बटवारां में आराजी वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार प्राप्त हुई है।वादपत्र की दफा 3 के अनुसार हम पक्षकारान अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। इसलिए उपरोक्त बटवारां के अनुसार आराजी हम पक्षकारान के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर हमारी आराजी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जाती है व चकनं0 2 एमकेएसबी के खाता सं0 30/27मे से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्द का हिस्सा कम, चकनं0 7 एसबीएन के खाता सं0 119/104 में मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 1 एमकेएसबी के खाता सं0 69/67 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का हिस्सा कम व इसी खाता में जपार मोहम्द का नाम कलमजन, चकनं0 8 केएचआर के खाता सं0 55/54 में से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्द का नाम कलमजन, व इसी चक के खाता सं0 105/99 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 1 एमकेएस ए के खात सं0 42/43 मे से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद का नाम कलमजन किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रति पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। स्टेट द्वारा जबाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र व सकूरा बी, हफीजां बी का सहमति पत्र व वादी द्वारा पैतृक सम्पति बाबत चक 8 केएचआर की खुशी मोहम्मद के नाम की खाता सं0 96 की पर्चा लगान की प्रति, चक 1 एमकेएस बी व चक 7 एसबीएन की खुशी मोहम्मद के नाम की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

बहस सुनी गई।वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां राजीनामा के अनुसार हो चुका है। वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज भूमि बटवारां में वादीगण को प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है।वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी,राजीनामा, का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगणसं0 1 व 2 के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति–पत्र,

के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहा है।वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि **क.**वादीसं0 1 अहमद अली को चकनं0 2 एम केएसबी के खाता सं0 30/27 में दर्ज प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद की 1.518 है0 भूमि **ख.**वादीसं0 2 अख्तर अली को चकनं0 7 एस.बी.एन के खाता सं0 119/104 में अंकित कुल 3.036 है0 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का 1/2 हिस्सा **ग.**प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद को चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 69/67 में प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का 1/2 हिस्सा भूमि **घ.**प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद को चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 के प0न0 214/208 मु0 37 किलानं0 17/.253, 24/.253 है0 व इसी चक के खाता सं0 109/101 के प0न0 215/208 मु0 38 किलानं0 11/.253 है0 **ङ.**प्रतिवादी सं0 3 फाजयॉ पुत्री मुस्ताक मोहम्मद को चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 प0न0 214/208 मु0 37 किलानं0 5/1/.202, 5/2/.051 है0 खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 15/1/.228, 15/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है0 खाला **च.**प्रतिवादी सं0 4 नाजिया बी पुत्री मुस्ताक मोहम्मद को चकनं0 8 केएचआर के खाता सं0 55/54 में प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद के नाम से दर्ज 0.506 है0 व इसी चक के खाता सं0 105/99 में अंकित प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद के नाम से दर्ज 0.506 है0 **छ.** प्रतिवादी सं0 5 नूरनबी को प्राप्त आराजीः—चकनं0 1 एमकेएस ए के खाता सं0 42/43 में अंकित जपार मोहम्मद के नाम से दर्ज 1.518 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम करवाने तथा चकनं0 2 एमकेएसबी के खाता सं0 30/27मे से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद का हिस्सा कम, चकनं0 7 एसबीएन के खाता सं0 119/104 में मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 1 एमकेएसबी के खाता सं0 69/67 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का हिस्सा कम व इसी खाता में जपार मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 8 केएचआर के खाता सं0 55/54 में से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद का नाम कलमजन, व इसी चक के खाता सं0 105/99 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 1 एमकेएस ए के खाता सं0 42/43 मे से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 44/2020

1. अहमद अली
2. अख्तर अली

} पि0 जपार मोहम्मद जाति कलाल साकिन गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. ज़पार मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद
2. मुस्ताक मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्मद
3. फाजयॉ पुत्री मुस्ताक मोहम्मद पत्नी अनवर हुसैन
4. नाजिया बी पुत्री मुस्ताक मोहम्मद पत्नी नूरनबी
5. नूरनबी पुत्र जपार मोहम्मद
6. सनाज बी पुत्री जपार मोहम्मद पत्नी गुलाम हुसैन
7. शमशाद बी पुत्री जपार मोहम्मद
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

} जाति कलाल साकिन गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) ★ टिब्बी ★

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि **क.**वादीसं0 1 अहमद अली को चकनं0 2 एम केएसबी के खाता सं0 30/27 में दर्ज प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद की 1.518 है0 भूमि **ख.**वादीसं0 2 अख्तर अली को चकनं0 7 एस.बी.एन के खाता सं0 119/104 में अंकित कुल 3.036 है0 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का 1/2 हिस्सा **ग.**प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद को चकनं0 1 एमकेएस बी के खाता सं0 69/67 में प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का 1/2 हिस्सा भूमि **घ.**प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद को चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 के प0न0 214/208 मु0 37 किलानं0 17/.253, 24/.253 है0 व इसी चक के खाता सं0 109/101 के प0न0 215/208 मु0 38 किलानं0 11/.253 है0 **ड.** प्रतिवादीसं0 3 फाजयॉ पुत्री मुस्ताक मोहम्मद को चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 प0न0 214/208 मु0 37 किलानं0 5/1/.202, 5/2/.051 है0 खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 15/1/.228, 15/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 16/1/.228, 16/2/.025 है0 खाला **च.**प्रतिवादी सं0 4 नाजिया बी पुत्री मुस्ताक मोहम्मद को चकनं0 8 केएचआर के खाता सं0 55/54 में प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद के नाम से दर्ज 0.506 है0 व इसी चक के खाता सं0 105/99 में अंकित प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद के नाम से दर्ज 0.506 है0 **छ.**प्रतिवादी सं0 5 नूरनबी को प्राप्त आराजीः–चकनं0 1 एमकेएस ए के खाता सं0 42/43 में अंकित जपार मोहम्मद के नाम से दर्ज 1.518 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम करवाने तथा चकनं0 2 एमकेएसबी के खाता सं0 30/27मे से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद का हिस्सा कम, चकनं0 7 एसबीएन के खाता सं0 119/104 में मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 1 एमकेएसबी के खाता सं0 69/67 में से

प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 4 एसबीएन के खाता सं0 109/101 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का हिस्सा कम व इसी खाता में जपार मोहम्द का नाम कलमजन, चकनं0 8 केएचआर के खाता सं0 55/54 में से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्द का नाम कलमजन, व इसी चक के खाता सं0 105/99 में से प्रतिवादीसं0 2 मुस्ताक मोहम्मद का नाम कलमजन, चकनं0 1 एमकेएस ए के खाता सं0 42/43 मे से प्रतिवादीसं0 1 जपार मोहम्मद का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X...निल......X..मुब्लिक....X..निल......X.....वावत्.....X.....निल.....X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक ....X.....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी